

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

विजय लाल

बनाम देवा सुर्जि

रस मुकदमा नं० १५१

नं० १९/१२/२०२४ सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
२२/६/२०२२	<p>पत्रावली देवा सुर्जि अखिलता उग्रय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना - पत्रावली मुकदमा उठाने के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिनकी एक प्रति वकील प्रतिवादी को दिखाई गई। और पत्रावली शांका किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि मुकदमें की अग्रिम कार्यवाही को आज ही समाप्त की जावे। हम इस मामले में प्रतिवादी को बिरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उग्रय पक्ष को पुराना मामला वकील वादी को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहिए। इन पत्रावली में किसी स्तर पर कार्यवाही को ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फेसल सुभार लेन्कर नम्बर से इस की गफार शांका दफ्तार है।</p>	<p>देवलाल मुय C. P. Kumbhar</p>

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)